रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2016/अग्रहायण 7, 1938
No. 818] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2016/AGRAHAYANA 7, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1096(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 951(अ) तारीख 8 दिसम्बर, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को तारीख 8 दिसम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 के साथ पठित धारा 64 के खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (21**वां** संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 62 में,--

(क) उपनियम (1) में,--

(i) पहले परंतुक में "निरीक्षण अधिकारी के पश्चात्" "निरीक्षण अधिकारी के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि यदि प्रथम परंतुक के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षणों का संचालन किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जहां यान का रजिस्ट्रीकरण किया गया था, से भिन्न किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में किसी निरीक्षण अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र में किया जाता है तो निरीक्षण अधिकारी, जिसने जांच का संचालन किया है, उसी दिन या अगले कार्यदिवस को उसकी निरीक्षण रिपोर्ट को प्ररूप 38क में http://parivahan.gov.in/vahan पोर्टल पर अपलोड करेगा और अपने हस्ताक्षर और मुहर के अधीन निरीक्षण रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट की तारीख से 15 दिन के भीतर यदि निरीक्षण अधिकारी द्वारा यान अधिनियम और नियमों के उपबंधों की अनुपालना करने वाला पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्पीड पोस्ट से भेजेगा और उसकी एक प्रति यान के चालक को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि यदि अगला उपयुक्तता प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से निरीक्षण अधिकारी या किसी प्राधिकृत जांच केंद्र से अभिप्राप्त किया जाता है, जहां यान का रजिस्ट्रीकरण किया गया है ।";

(iii) *स्पष्टीकरण* में, "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) किसी यान की जांच के लिए फीस, जब निरीक्षण अधिकारी से भिन्न किसी निरीक्षण अधिकारी या प्राधिकृत जांच केंद्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में जांच की जाती है, नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।"

3. मूल नियमों के नियम 81 में, सारणी में, क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11क.	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी से भिन्न किसी निरीक्षण अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता का प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीकृत किए जाने के लिए किसी यान का परीक्षण का संचालन करना		62(2)	
	मोटर साईकिल	मैनुअल : दौ सौ रुपए स्वचालित : चार सौ रुपए		
	तिपहिया या हल्का मोटरयान या चौपहिया	मैनुअल : चार सौ रुपए स्वचालित : छह सौ रुपए		
	मध्यम या भारी मोटरयान	मैनुअल : छह सौ रुपए स्वचालित : एक हजार रुपए		

4. प्ररूप 38 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 38क

[देखिए नियम 62(1)]

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी से भिन्न किसी निरीक्षण अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र द्वारा संचालित किसी परिवहन यान की निरीक्षण रिपोर्ट

यान, जिसकी रजिस्ट्रीकरण सं. .... है, का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आज निरीक्षण किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के उपबंधों का अनुपालन करता है तथा यह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए उपयुक्त है।

यह रिपोर्ट http://parivahan.gov.in/vahan पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आज या अगले कार्य दिवस को स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन के प्रक्रमण यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भेजी जाएगी।

तारीख ....

स्थान ....

निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र के प्राधिकृत पत्र धारक के हस्ताक्षर

सडंक परिवहन कार्यालय, जहां तैनात है

जिला

राज्य

शासकीय मुहर।"।

[सं. आरटी-11028/15/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 1034(अ), तारीख 02.11.2016 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2016

G.S.R. 1096(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 951(E), dated the 8th December, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 8th December, 2015;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (n) of section 64 read with section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (21st Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 62,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in the first proviso, for the words "after the Inspecting Officer", by the words "after an Inspecting Officer" shall be substituted;

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that if the tests specified in the Table under the first proviso are conducted by an Inspecting Officer or authorised testing station in a State/ Union Territory other than the State/ Union Territory where the vehicle is registered, the Inspecting Officer who conducted the tests shall, on the same day or on the following working day, upload his inspection report in Form 38A at the portal http://parivahan.gov.in/vahan and also send the inspection report signed under his hand and seal to the registering authority by speed post for issue of certificate of fitness by the registering authority within fifteen days from the date of the inspection report, if the vehicle is found by the Inspecting Officer to be in compliance with the provisions of the Act and rules and a copy shall be given to the driver of the vehicle:

Provided also that the next fitness certificate is obtained from the inspecting officer or an authorised testing station in the State/ Union Territory of the registering authority where the vehicle is registered.";

(iii) in the Explanation, for the words "appointed by the State Government" the words "appointed by a State Government" shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The fee for testing of a vehicle when tested by an Inspecting Officer or authorised testing station, other than the Inspecting Officer in the office of the registering authority, shall be as specified in rule 81.".

3. In rule 81 of the principal rules, in the Table, after the serial number 11 and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11A.	Conducting test of a vehicle by an Inspecting Officer or Authorized testing station other than the Inspecting Officer in the office of the registering authority for grant or renewal of certificate of fitness by the registering authority		62(2)";	
	Motorcycle	Manual: Two hundred rupees Automated: Four hundred rupees		
	Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	Manual : Four hundred rupees Automated: Six hundred rupees		
	Medium or heavy motor vehicle	Manual: Six hundred rupees Automated: One thousand rupees		

4. After Form 38 of the principal rules, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM 38A

[See rule 62(1)]

Report of inspection conducted on a transport vehicle by an Inspecting Officer or authorised testing station, other than the Inspecting Officer in the office of the registering authority

Vehicle bearing registration number ………………………….. has been inspected by the undersigned today and it is certified that it complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and is fit for issue of a Fitness Certificate by the registering authority.

This report will be uploaded at the portal http://parivahan.gov.in/vahan and the inspection report signed under my hand and seal will be sent to the registering authority by speed post either today or on the next working day for processing the application for issue of certificate of fitness in respect of the vehicle by the registering authority.

Date ……………..

Place ……………..

Signature, name and designation of the Inspecting Officer or Sign of holder of Authority letter of authorised testing station

Road Transport Office in which posted.-

District-

State-

Official seal.".

[No. RT-11028/15/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R.1034 (E) dated the 02nd November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.11.29 21:40:45 +05'30'